

फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

ब्रह्मप्रकाश बनाम रीको

केस संख्या :241/2016 (मध्यस्था प्रार्थना पत्र, मध्यस्था एवं सुलह अधिनियम 1996)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
20.03.2023	<p>अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर पत्रावली तलब की गई। प्रार्थी ने मध्यस्था प्रार्थना पत्र को आगे नहीं चलाने का कथन करते हुये नोट प्रेस किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया है। पहचान की पुष्टि में स्वयं के आधार कार्ड की फोटो प्रति पेश की है।</p> <p>चूंकि प्रार्थी ने स्वयं द्वारा प्रस्तुत मध्यस्था प्रार्थना पत्र को नोट प्रेस किया है, इसलिए मध्यस्था प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">— जिला कलक्टर जयपुर</p>	